पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 297/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 22.09.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 22.09.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01-थाना जीयनपुर : ढाबे से गुमशुदा किशोर को पुलिस ने 02 घण्टे के अन्दर किया बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 21.09.2024 को वादी मुकदमा चन्द्रभान पुत्र स्व0 विक्रम सा0 काखभार थाना रौनापार जिला आमजगढ द्वारा थाना जीयनपुर, आजमगढ़ पर प्रार्थना पत्र दिया गया था कि मेरा लड़का छोटू उम्र लगभग 15 वर्ष जो न्यू बाबा ढाबा लाटघाट पर काम करता था जो दिनाँक 17.09.2024 से गायब है बहुत खोजबीन के पश्चात भी नही मिल रहा है। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 434/2024 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहित बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0जाफर खान द्वारा सम्पादित की जा रही है।

बरामदगी का विवरण- **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** द्वारा गुमशुदा/अपहत की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 21.08.2024 को उ0नि0 जाफर खान मय हमराह द्वारा मुखबीर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित किशोर छोटू पुत्र चन्द्रभान निवासी काखभार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 15 वर्ष को लाटघाट-सतना रोड तिराहे से समय करीब 17:30 बजे बरामद किया गया तथा मा0 न्यायालय प्रस्तुत कर परिजनो को सुपुर्द किया जायेगा।

पुछताछ का विवरण बरामद किशोर ने बताया कि वह अपनी मर्जी से बिना किसी को बताये घूमने फिरने गया था।

बरामद करने वाली पुलिस टीम उ0नि0 जाफर खान, का0धनन्जय राय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

02-थाना रौनापार : अवैध असलहा - कारतूस के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ हेमराज मीना द्वारा अवैध असलहो का निर्माण, तस्करी व अवैध असलहों से घटना कारित करने वाले अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.09.2024 को उ0नि0 मधुसूदन मिश्रा मय हमराह द्वारा अभियुक्त राहुल गौड़ पुत्र केशव गौड़ सा0 शाहडीह थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को सुदनीपुर करमैनी मोड़ से समय करीब 02:45 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 01 देशी तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 371/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय द्वारा किया गया।

आपराधिक इतिहास- **1.** मु0अ0सं0 261/24 धारा 307/504/506/412/395 भादवि थाना रौनापार आजमगढ

03-थाना रौनापार : किशोरी को अगवाकर भगाने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 10.09.24 को वादिनी मुकदमा , थाना रौनापार द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 20.08.2024 को वादिनी की पुत्री, शौच करने गयी थी जिसे अभियुक्त राहुल पुत्र अज्ञात नि0 अज्ञात बहला फुसलाकर भगा ले गया जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 362/24 धारा 137(2)/87 BNS बनाम राहुल पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय द्वारा प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपहृताओं की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.09.2024 को उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त राहुल गौतम पुत्र सुबेदार सिंह सा0 सिसैया गोसाई थाना दातागंज जनपद बदायू उ0प्र0 को भीमबर बाजार से समय करीब 10:40 बजे गिरफ्तार कर अपहृता को बरामद किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

04.थाना पवई: अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक- 12.08.2024 को वादी मुकदमा थाना पवई जनपद आजमगढ़ ने थाना पवई पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 05.08.24 को वादी की पुत्री (उम्र 21वर्ष) को प्रतिवादी अंकित पुत्र इन्द्रजीत नि0ग्रा0 लग्गुपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा कहीं बहला फूसला कर भगा ले जाने तथा वादी की पुत्री को भगाने में पूजा पत्नी विन्द्रेश राजभर व रागिनी पुत्री विन्द्रेश राजभर का पूरा सहयोग होने के सम्बन्ध में थाना पवई पर मु0अ0सं0 284/24 धारा 87 बीएनएस बनाम 1. अंकित पुत्र इन्द्रजीत नि0ग्रा0 लग्गुपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ 2. पूजा पत्नी विन्द्रेश राजभर पता अज्ञात 3. रागिनी पुत्री विन्द्रेश राजभर पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान दिनांक 21.09.24 को पीड़िता का बयान 180 बीएनएसएस व 183 बीएनएसएस में बताया कि चरनजीत पुत्र दलसिंगार ग्राम लड्डूपार थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ ने उसे बहलाकर शादी का झांसा देकर जबरदस्ती मुम्बई ले गया था। तमामी विवेचना व संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त चरनजीत पुत्र दलसिंगार ग्राम लड्डूपार थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में लाया गया एवं नामित अभियुक्त अंकित, पूजा, रागिनी उपरोक्त की घटना में संलिप्तता न पाये जाने के कारण इनकी नामजदगी गलत की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण आज दिनांक 22.09.2024 को उ0नि0 उमेशचन्द्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त चरनजीत पुत्र दलसिंगार ग्राम लड्डूपार थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष को बलुआ मोड़ के पास से समय 13.15 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।